

न्यायालय:- द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, गोहद, जिला भिण्ड
(समक्ष: पी०सी०आर्य)

दांडिक अपील क्रमांक: 84/2008
संस्थित दिनांक-26/11/08

सुजान सिंह पुत्र शरन सिंह 30 साल,
जाति गुर्जर निवासी ग्राम गुमारा,
पुलिस थाना मौ जिला भिण्ड म.प्र.

.....अपीलार्थी/अभियोगी

वि रु द्ध

1- सुरेश सिंह पुत्र शरन सिंह आयु 48 साल,
निवासी ग्राम गुमारा थाना मौ

2. पुलिस थाना मौ,
परगना गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

.....प्रत्यर्थीगण/अनावेदकगण

आवेदक द्वारा श्री एम.एल. मुदगल अधिवक्ता
प्रत्यर्थी/अनावेदकगण द्वारा श्री के.पी. राठौर अधिवक्ता

न्यायालय-श्री सुशील कुमार, जे.एम.एफ.सी., गोहद, द्वारा दांडिक
प्रकरण क्रमांक-78/2002 में दोषमुक्ति निर्णय दिनांक 17/7/08
से उत्पन्न दांडिक अपील ।

-::- निर्णय -::-

(आज दिनांक 7/10/2014 को खुले न्यायालय में घोषित)

1. आवेदक/अपीलार्थी की ओर से उक्त दांडिक अपील
धारा-374 द०प्र०सं० 1973 के अंतर्गत न्यायालय जे०एम०एफ०सी०
गोहद श्री सुशील कुमार द्वारा दांडिक प्रकरण क्रमांक 78/2002
निर्णय दिनांक-17/7/08 के निर्णय से विक्षुप्त होकर प्रस्तुत की है,
जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अनावेदक/प्रत्यर्थी सुरेश को
मोटरयान अधिनियम की धारा-146/196 में 700 रुपये के अर्थदण्ड
से दण्डित किया गया था एवं ट्रैक्टर अनावेदक सुरेश सिंह को सुपुर्द
किया गया ।

2. प्रकरण में यह निर्विवादित तथ्य है कि आवेदक/अपीलार्थी एवं
अनावेदक क्र.-1 सुरेश सिंह सगे भाई हैं एवं प्रकरण में महत्वपूर्ण

स्वीकृत तथ्य यह है कि प्राइवेट परिवादपत्र संबंधी मूल प्रकरण का विनिष्ठीकरण हो चुका है और पुर्ननिर्माण की सामग्री उपलब्ध नहीं है।

3. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अभियोगपत्र एवं उसके साथ संलग्न प्रपत्रों के आधार पर अनावेदक सुरेश एवं तिलक सिंह के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181, 146/196, 117 के तहत आरोप लगाये जाने पर अनावेदकगण को समरी के रूप में पढकर सुनाये व समझाये जाने पर आरोप से इंकार किया, उन्होंने अपराध करना स्वीकार किया, तत्पश्चात अनावेदकगण को अर्थदण्ड से दण्डित किया गया एवं जप्तशुदा ट्रैक्टर अनावेदक सुरेश सिंह को सुपुर्द किया गया ।
4. आवेदक/अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत किए गये अपीलीय ज्ञापन में मूलतः यह आधार लिया है कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अपनी आदेशपत्रिका दिनांक-17/7/08 में ट्रैक्टर किस आरोपी को दियाजाये कहीं भी उल्लेख नहीं किया है । ट्रैक्टर तिलक सिंह से जप्त हुआ था और सुरेश सिंह ने ले लिया, ट्रैक्टर के मूल रजिस्ट्रेशन, बीमा, ड्राइविंग लाइसेंस आरोपीगण के पास ना होकर अपीलार्थी/आवेदक के पास शुरू से है । आवेदक ने आरोपी को वाहन देने पर आपत्ति की थी, किन्तु विद्वान अधीनस्थ न्यायालयने आवेदक व उसके अधिवक्ता को नहीं सुना । आरोपी ने ट्रैक्टर लेने के बाद बेच दिया और रकम हडप ली जिससे अपीलार्थी का खाता भी बंधक रखा होने से भार अपीलांत पर पड़ेगा ।
5. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने संपूर्ण पत्रावली का अवलोकन किए बिना ही आलोच्य आदेश पारित करने में गंभीर भूल की गयी है, जो स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। इसलिये अपील स्वीकार की जाकर आलोच्य आदेश अपास्त की जावे ।
6. अब प्रकरण में इस न्यायालय के समक्ष अपील के निराकरण हेतु मुख्य रूप से निम्न बिन्दु विचारणीय है :-
 - 1- “क्या, विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांकित 17/7/08 अवैध, अनुचित या औचित्यहीन होकर अपास्त किए जाने योग्य है ?”
 2. क्या, आवेदक/अपीलार्थी को जप्तशुदा ट्रैक्टर सुपुर्द किए जाने का पर्याप्त आधार मौजूद हैं, यदि हां तो प्रभाव ।

—:— **निष्कर्ष के आधार** —:—

विचारणीय प्रश्न क्रमांक— 1 व 2 का निराकरण

7. उक्त विचारणीय बिंदुओं का सुविधा की दृष्टि एवं साक्ष्य के

विश्लेषण में पुनरावृत्ति न हो इसलिए एक साथ विश्लेषण एवं निराकरण किया जा रहा है।

8. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख का अध्ययन किया गया। आलोच्य निर्णय का अवलोकन किया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर मनन किया गया।
9. चूंकि मूल प्रकरण विनिष्टीकृत हो चुका है। इसलिये संलग्न प्रपत्रों के अध्ययन करने पर यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी/आवेदक ने जो आधार लिये हैं और जो तथ्य प्रकट किए हैं, उसके मुताबिक अपराध क्रमांक-11/2002 धारा-3/181, 146/196, 117 मोटरयान अधिनियम 1988 में जप्त किए गये ट्रैक्टर को तिलकसिंह से जब्त बताया गया है, जो सुरेश सिंह को प्रदान किया गया और उसके द्वारा ट्रैक्टर को विक्रय कर देना भी बताया गया है। लिये गये आधारों में यह प्रकट किया गया है कि सुरेश द्वारा ट्रैक्टर को सुपुर्दगी पर लिया था और फरार हो गया, बाद में उसने अपराध स्वीकार कर लिया, किन्तु विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने आलोच्य निर्णय में धारा-452 द.प्र.सं. के तहत जब्तशुदा ट्रैक्टर के संबंध में कोई आदेश नहीं किया है और अपीलार्थी/आवेदक के द्वारा तत्समय अभिभाषक नियुक्त करके ट्रैक्टर से संबंधित कागजात भी दिखाये गये थे तथा अपना पक्ष भी रखा गया था, किन्तु उनकी सुनवाई नहीं की गयी तथा ट्रैक्टर बैंक से ऋण द्वारा लिया गया था, जिसकी किश्तें अपीलार्थी/आवेदक द्वारा अदा की गयी हैं।
10. इस तरह से जो आधार लिये गये हैं, वे सिविल दायित्वों से संबंधित हैं और विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष चले प्रकरण क्रमांक-78/2002 में संक्षिप्त विचारण करते हुए दिनांक-17/7/2008 को स्वीकारोक्ति के आधार पर किए गये निर्णय अनुसार आरोपीगण तिलकसिंह को मोटरयान अधिनियम की धारा-3/181, 146/196 एवं 117 के तहत और सुरेशसिंह को धारा-146/196 मोटरयान अधिनियम के तहत दोषसिद्ध कर अर्थदण्ड से दण्डित किया। जिन्होंने अर्थदण्ड अदा कर दिया है।
11. अपीलीय ज्ञापन मुताबिक ही सुरेश सिंह ट्रैक्टर का पंजीकृत स्वामी बताया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी/आवेदक प्रस्तुत अपील के माध्यम से चाही गयी सहायता पाने का पात्र नहीं है और उसे आलोच्य निर्णय दिनांक-17/7/08 को चुनौती देने की अधिकारिता भी नहीं है। क्योंकि धारा-374 द.प्र.सं. के उपबंध मुताबिक दोषसिद्धी की अपील की जा सकती है, किन्तु हस्तगत मामले में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किए गये तिलकसिंह और सुरेश सिंह की ओर से कोई अपील नहीं की गयी है। ऐसे में अपीलार्थी सुजान सिंह की अपील प्रकरण की संपूर्ण परिस्थितियों में स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होती हैं।

12. इस तरह से उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर प्रस्तुत दाण्डिक अपील में कोई विधिक बल ना होने से वाद विचार दाण्डिक अपील निरस्त करते हुये विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य निर्णय की पुष्टि की जाती है ।

दिनांक: 07, अक्टूबर 2014

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर मेरे बोलने पर टंकित किया गया ।
खुले न्यायालय में घोषित किया गया ।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड